अतिमहत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध,
निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाऐं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / स0वि0 / 2026–27 / 8678 **लखनऊः दिनांकः** 23-03-2026

विषयः **सत्र 2026–27 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 96 / 2027 / आई / 1019139 / 2025 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 09 जुलाई, 2025 **(संलग्न 01),** शासनादेश संख्याः 122 / 2025 / आई / 1179979 / 2025 / 16–3099 / 44 / 2025, दिनांकः 19 दिसम्बर, 2025 **(संलग्न 02)** एवं शासनादेश संख्याः 04 / 2026 / आई / 1196159 / 2026 / 16–3099 / 96 / 2025, दिनांकः 06 जनवरी, 2026 **(संलग्न 03)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की संस्थाओं को **सत्र 2026–27** हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2026–27 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2026–27 में परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्राप्त करने हेतु यू–राईज पोर्टल पर दिए गए लिंक https://urise.up.gov.in/user/dashboard/addemployee के माध्यम से अपनी संस्था में कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टाफ की सूचना (ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 मानकानुसार) अद्यतन (Update) करने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार हेतु आवेदन करें। संस्था के SU login के माध्यम से संस्था संबंधी समस्त सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए **सत्र 2026–27** हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 द्वारा निर्गत अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करने के पश्चात् तथा यू–राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2026–27 हेतु दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन / ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव।

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / स0वि0 / 2026–27 / 8679-87 **तद्दिनांकः** 23-03-2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन / अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपर मुख्य सचिव / अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।

2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
7. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त की सूचना वेबसाइट www.bteup.ac.in पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव।

<u>ई-मेल</u>

<u>शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-96/2027/आई/1019139/2025/16-3099/156/2019</u>

प्रेषक,

अजीज अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांकः 09 जुलाई, 2025**

विषयः- प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को (डी0फार्मा0 एवं वास्तुकला संस्थाओं को छोड़कर) सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2024/आई465018/2024/16-3099/156/2019, दिनांक 05.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा/डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता(Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिग्री व डिप्लोमा सेक्टर के नियंत्रणाधीन तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के संचालन हेतु बनाए गए अधिनियमों/विनियमों/नियमों में प्राविधानों में भिन्नतायें है। अतः प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा व डिग्री सेक्टर के अन्तर्गत नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर संबंधी आवेदनों पर विचार करने हेतु पृथक-पृथक सुस्पष्ट, पारदर्शी, शुचितापूर्ण, त्वरित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3. प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Computer Science and Engineering with specialization in Cyber security/Web Designing/Network Engineering/ Artificial Intelligence/Mobile App Development/Blockchain, Data Science Engineering, Artificial Intelligence & Machine Learning, Computer Engineering & IOT, Cyber System & Information Security, Computer Hardware & Networking, Gaming & Animation; Mechanical Engineering with specialization in Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, Mechatronics, Metallurgical Engineering; Architectural Assistantship, Architectures and interior decoration; Electronics Engineering with specialization in Robotics/Robotics and Mechatronics/Fiber optics/Electric Vehicle technology/Industry integrated/Biomedical Engineering/VLSI/5G&6G Technology, Animation, Visual Effects, Gaming, Comics (AVGC sector) आदि नई एवं उभरती हुई इंजीनियरिंग शाखाओं में भविष्य में डिप्लोमा इंजीनियरों की मांग के दृष्टिगत पठन-पाठन आरम्भ किया जाना जनहित में आवश्यक है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन दिया जाना) विनियम-2016 के विनियम 4.2 एवं 4.18 के अनुसार नई तकनीकी संस्था को स्थापित करने आदि के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का अभिमत/दृष्टिकोण प्रेषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

5. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 यथा संशोधित तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमावली, 2000 व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन दिया जाना) विनियम-2016 के प्राविधानों एवं AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 से 2026-27 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-2/2024/आई465018/2024/16-3099/156/2019, दिनांक 05.01.2024 को अवक्रमित करते हुए डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को (डी0फार्मा0 एवं वास्तुकला संस्थाओं को छोड़कर) सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

<u>डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को (डी0फार्मा0 एवं वास्तुकला संस्थाओं को छोड़कर) सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि संबंधी प्रक्रिया</u>

(1) डिप्लोमा सेक्टर में डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को (डी0फार्मा0 एवं वास्तुकला संस्थाओं को छोड़कर) सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर आदि हेतु कार्यवाही प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जाएगी। Affiliation प्रदान करने की समस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी। भौतिक रुप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही Affiliation निर्गत किया जायेगा।

(2) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रासंगिक शैक्षणिक सत्र (Relevant Academic Session) के लिए प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी, द्वारा Affiliation हेतु यू-राइज पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का Online भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निम्न अभिलेख होने चाहिए जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

i. नियामक संस्था (AICTE) का अनुमोदन पत्र।
ii.उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज (भूमि आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम पंजीकृत हो अथवा न्यूनतम 30 वर्षों हेतु लीज पर होनी चाहिए)
iii. बिल्डिंग प्लान (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)
iv.संकल्प पत्र (Resolution Letter)
v. आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी/ कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।" (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्नक-1)

vi. संस्था प्रधानाचार्य का नियुक्ति पत्र।

vii. समस्त संस्था शैक्षिक स्टाफ एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति पत्र। (Faculty Students Ratio 1:25)

viii. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (Building Completion Certificate)/भवन अधिभोग प्रमाण पत्र (Building Occupancy Certificate) Approved by Competent Authority (यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रमाण पत्र अलग-अलग प्रदान किये जाते हैं तो दोनों प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें अन्यथा भवन अधिभोग प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा।)

ix. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC Approved by Competent Authority)

x. ब्रांचवार लैब/शॉप में उपलब्ध उपकरणों की सूची (Branchwise equipments list available in labs/shops) आवश्यक उपकरणों की सूची पोर्टल www.bteup.ac.in पर उपलब्ध है।

नोटः- सम्बद्धता हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक आवेदक संस्था के पास उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र/नियुक्ति पत्र/स्टाफ/ब्रांचवार लैब-शॉप उपकरण होने चाहिए अन्यथा निरीक्षण के समय कोई कमी पाये जाने पर संबंधित संस्था को असंस्तुत कर दिया जायेगा।

(4) उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम-12(2) के प्राविधानानुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूटिनी समिति का गठन किया जायेगा। स्कूटिनी समिति यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की अधिकतम 03 कार्यदिवस में स्कूटिनी करेंगी। अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(5) स्कूटिनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 मई तक प्रेषित किया जायेगा।

(6) प्रत्येक जनपद में गठित निम्न समिति द्वारा संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जाएगा-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. संबंधित जनपद का नोडल प्रधानाचार्य- सदस्य/संयोजक
3. राजकीय पालीटेक्निक के विभागाध्यक्ष/व्याख्याता- सदस्य
4. *ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा नामित सदस्य- सदस्य

नोट- *कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जानी है। अतः ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा एक सप्ताह में सदस्य नामित न किये जाने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

(7) उक्त जनपदीय समिति द्वारा संबंधित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करते हुए 15 मई तकआख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति सहित यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। जनपदीय

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुए वीडियो पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन प्रारूप यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध होगा जिसे आवेदक संस्था द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करते समय ही पूर्ण कर यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसका जनपदीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन किया जायेगा। (स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन प्रारूप संलग्नक-2) प्रारूप में आवश्यकतानुसार संशोधन संभव है। स्थलीय निरीक्षण के समय यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप ही मान्य होगा।

(8) उक्त जनपदीय समिति द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 (1) के अंतर्गत गठित सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित कर अपनी संस्तुति/असंस्तुति सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् सम्बद्धता हेतु उपयुक्त पायी गई संस्थाओं को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल सिग्नेचर से सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष 20 मई तक अपलोड किया जायेगा। असंस्तुत संस्थाओं को सम्बद्धता हेतु उस शैक्षिक सत्र में विचार नहीं किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया परिषद द्वारा निर्धारित की गई टाइमलाइन के अनुसार अंतिम तिथि तक पूर्ण करायी जायेगी।

(9) सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सामान्यतः अग्रिम आदेशों तक के लिए जारी किये जायेंगे। यदि नियामक संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा किसी संस्थान को अनुमोदन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित शैक्षिक सत्र/सत्रों हेतु परिषद का सम्बद्धता विस्तार स्वतः निरस्त माना जाएगा। सम्बद्धता विस्तार निम्न शर्तों के साथ यू-राईज पोर्टल के माध्यम से सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन जारी कर दिया जायेगाः-

(i) परिषद् से सम्बद्ध किसी भी संस्था में यदि 03 वर्षो तक एडमिशन 50% से कम हो तो संबंधित संस्था को चौथे वर्ष सम्बद्धता विस्तार हेतु परिषद को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। चौथे वर्ष संस्था को स्वतः सम्बद्धता विस्तार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) नियामक संस्था (ए0आई0सी0टी0ई0) एवं राज्य सरकार द्वारा निधारित Quality Parameters का अनुपालन सुनिश्चित न करने के संबंध में आवेदक संस्था के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो संस्था को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से भी जांच करायी जा सकती है और शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित संस्था की सम्बद्धता भी समाप्त की जा सकती है।

<u>सम्बद्धता (Affiliation) हेतु निर्धारित समय-सारिणी-</u>

क्र0सं0	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि
1-	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	01 जनवरी से 30 अप्रैल
2-	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	15 मई तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	20 मई तक

उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2026-27 से अग्रिम आदेशों तक यथावत् लागू रहेगी।

6. कृपया डिप्लोमा सेक्टर के संस्थानों को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

अजीज अहमद
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/सदस्य-सचिव, ए०आई०सी०टी०ई, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
8. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-122/2025/आई/1179979/2025/16-3099/44/2025

प्रेषक,

सेल्वा कुमारी जे0,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2025**

विषयः-प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय वास्तुकला (Architecture)क्षेत्र में नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:- 2/2024/आई/465018/2024/16-3099/156/2019 दिनांक 05.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश सभी नियामक संस्थाओं AICTE/PCI/COA से आच्छादित आवेदक संस्थाओं के लिए एक साथ जारी किया गया है। साथ ही उक्त शासनादेश मात्र सत्र 2024-25 के लिए ही प्रभावी था एवं शासनादेश में सम्बद्धता के संबंध में कोई स्पष्ट समय सारिणी निर्धारित नहीं की गयी थी। अतः प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा सेक्टर में वास्तुकला (Architecture) क्षेत्र के अंतर्गत नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर संबंधी आवेदनों पर विचार किये जाने हेतु पृथक रूप से एक पारदर्शी, शुचितापूर्ण, त्वरित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

3. प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों मेंArchitecture क्षेत्र में छात्रों के कैरियर बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। आर्कीटेक्चरल पदों पर काम करने हेतु कलात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।आर्कीटेक्चर में भवन वास्तुकार, आंतरिक वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्कैप आर्कीटेक्चर, नगर नियोजक, वास्तुकला इंजीनियर जीर्णोद्धार वास्तुकार आदि विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं।वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण (Mass urbanization) एवं औद्योगिक बुनियादी ढ़ाचें में सतत् वृद्धि (Continuous growth in Industrial Infrastructure) के दृष्टिगत प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आर्कीटेक्चर से संबंधित Architectural Assistantship, Architecture & Interior Decoration, City and Regional Planning and Management, City Planning, City Planning and Management, Community Planning, Conservation Planning, Environmental Planning, Environmental Planning and Management, Housing, Industrial Area Planning and Management, Infrastructure Planning, Infrastructure Planning and Management, Land-Use Planning, Regional and Rural Development

http://bhasandesh.up.gov.in

Planning, Regional Planning, Rural Planning and Development, Rural Planning and Management, Town and Country Planning, Town Planning, Transport Planning and Management, Transportation Planning, Urban and Regional Planning, Urban and Rural Planning, Urban Design, Urban Development, Urban Planning आदि वास्तुकला कीविभिन्नशाखाओं मेंपठन-पाठन आरम्भ किया जाना जनहित में आवश्यक है।

4. डिप्लोमा सेक्टर में वास्तुकला (Architecture) क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में मण्डल स्तर पर पूर्व से संचालित राजकीय एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में वास्तुकला से संबंधित डिप्लोमा इन Architecture, Architectural Assistantship, Interior Design & Decoration, Architectural Assistantship & Planning आदि शाखाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पठन-पाठन आरम्भ किया जा सकता है। वास्तुकला क्षेत्र में छात्रों के कैरियर बनाने की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत निजी क्षेत्र में नवीन डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं स्थापित किये जाने हेतु बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।पठन-पाठन के साथ-साथ छात्रों को Field Exposure के साथ ही स्थानीय एव स्थापित वास्तुकारों (Architects) के अनुभवों का लाभ भी प्राप्त हो। इस कारण प्रथम चरण में प्रदेश के मण्डल मुख्यालय या मण्डल के अंतर्गत बड़े शहरों में यथा-वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, विन्ध्याचल, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद में वास्तुकला क्षेत्र के अंतर्गत पठन-पाठन आरंभ किया जा सकता है।डिप्लोमा स्तरीय वास्तुकला संबंधी नवीन प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को नियामक संस्था यथा- COAआदि से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही संचालित किया जायेगा।

5. अतः उक्त के संबंध में उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 यथा संशोधित तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमावली, 2000 व COA (वास्तुकला परिषद)के Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Guidelines for Diploma Courses 2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:- 2/2024/आई/465018/2024/16-3099/156/2019 दिनांक 05.01.2024 को अवक्रमित करते हुए वास्तुकला क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

वास्तुकला क्षेत्र में नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि किये जाने संबंधी प्रक्रिया-

(1) वास्तुकला (Architecture) क्षेत्र में नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु कार्यवाही प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जाएगी। Affiliation प्रदान करने कीसमस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी। भौतिक रुप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही Affiliation निर्गत किया जायेगा।

(2) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रासंगिक शैक्षणिक सत्र (Relevant Academic Session) के लिए प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी, द्वारा Affiliation हेतु यू-राइज पोर्टल परप्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का Online भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निम्न अभिलेख होने चाहिए जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा-

i. नियामक संस्था (COA) का अनुमोदन पत्र।

ii.उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज(भूमि आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम पंजीकृत हो अथवा न्यूनतम 30 वर्षों हेतु लीज पर होनी चाहिए)

iii. बिल्डिंग प्लान(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

iv.संकल्प पत्र (Resolution Letter)

v. आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किये जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी / कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।" शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न **(संलग्नक-01)**

vi. संस्था प्रधानाचार्य का नियुक्ति पत्र।

vii. समस्त संस्था शैक्षिक स्टाफ एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति पत्र। (Faculty Students Ratio 1:25)

viii. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (Building Completion Certificate)/भवन अधिभोग प्रमाण पत्र (Building Occupancy Certificate) Approved by Competent Authority (यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रमाण पत्र अलग-अलग प्रदान किये जाते हैं तो दोनों प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें अन्यथा भवन अधिभोग प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा।)

ix. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC Approved by Competent Authority)

x. ब्रांचवार लैब/शॉप में उपलब्ध उपकरणों की सूची (Branch wise equipments list available in labs/shops) आवश्यक उपकरणों की सूची पोर्टल www.bteup.ac.inपर उपलब्ध है।

नोटः- सम्बद्धता हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि 30अप्रैल तक आवेदक संस्था के पास उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र/नियुक्ति पत्र/स्टाफ/ब्रांचवार लैब-शॉप उपकरण होने चाहिए अन्यथा निरीक्षण के समय कोई कमी पाये जाने पर संबंधित संस्था को असंस्तुत कर दिया जायेगा।

(4) उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम-12(2) के प्राविधानानुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूटिनी समिति का गठन किया जायेगा। स्कूटिनी समिति यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की अधिकतम 03 कार्यदिवस में स्कूटिनी करेंगी। अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(5) स्कूटिनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 मई तक प्रेषित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रत्येक जनपद में गठित निम्न समिति द्वारा संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जाएगा-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. संबंधित जनपद का नोडल प्रधानाचार्य- सदस्य/संयोजक
3. राजकीय पालीटेक्निक के विभागाध्यक्ष/व्याख्याता- सदस्य
4. *COA (वास्तुकला परिषद) द्वारा नामित सदस्य - सदस्य

नोट- *कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जानी है। अतः COA (वास्तुकला परिषद) द्वारा एक सप्ताह में सदस्य नामित न किये जाने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

(7) उक्त जनपदीय समिति द्वारा संबंधित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करते हुए 15 मई तकआख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति सहित यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। जनपदीय समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुए वीडियो पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन प्रारूप यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध होगाजिसे आवेदक संस्था द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करते समय ही पूर्ण कर यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसका जनपदीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन किया जायेगा।सुलभ संदर्भ हेतु स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन प्रारूप संलग्न है **(संलग्नक-2)**। प्रारूप में आवश्यकतानुसार संशोधन संभव है। स्थलीय निरीक्षण के समय यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप ही सहीमाना जाएगा।

(8) उक्त जनपदीय समिति द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 (1) के अंतर्गत गठित सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित कर अपनी संस्तुति/असंस्तुति सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् सम्बद्धता हेतु उपयुक्त पायी गई संस्थाओं को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल सिग्नेचर से सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष 20 मई तक अपलोड किया जायेगा। असंस्तुत संस्थाओं को सम्बद्धता हेतु उस शैक्षिक सत्र में विचार नहीं किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया परिषद द्वारा निर्धारित की गई टाइमलाइन के अनुसार अंतिम तिथि तक पूर्ण करायी जायेगी।

(9) सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार परिषद द्वारासामान्यतः अग्रिम आदेशों तक के लिए जारी किये जायेंगे। यदि नियामक संस्था यथा-COA (वास्तुकला परिषद) द्वारा किसी संस्थान को अनुमोदन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित शैक्षिक सत्र/सत्रों हेतु परिषद का सम्बद्धता विस्तार स्वतः निरस्त माना जाएगा।सम्बद्धता विस्तार निम्न शर्तों के साथ यू-राईज पोर्टल के माध्यम से सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन जारी कर दिया जायेगा।

(i) परिषद् से सम्बद्ध किसी भी संस्था में यदि 03 वर्षो तक एडमिशन 50% से कम हो तो संबंधित संस्था को चौथे वर्ष सम्बद्धता विस्तार हेतु परिषद को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। चौथे वर्ष संस्था को स्वतः सम्बद्धता विस्तार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यदि किसी सम्बद्ध संस्था के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो संस्था को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से भी जांच करायी जा सकती है और शिकायत की पुष्टि होने पर

http://shsanadesh.up.gov.in

संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित संस्था की सम्बद्धता भी समाप्त की जा सकती है।

सम्बद्धता (Affiliation) हेतु निर्धारित समय-सारिणी-

क्र0सं0	**कार्य विवरण**	**निर्धारित समयावधि**
1-	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	01 जनवरी से 30 अप्रैल
2-	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	15 मई तक
3-	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	20 मई तक

यह शासनादेश शैक्षिक सत्र 2026-27 से अग्रिम आदेशों तक यथावत् लागू रहेगा।

कृपया डिप्लोमा सेक्टर के संस्थानों को सम्बद्धता (Affiliation)प्रदान किये जाने हेतु उक्त निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
सेल्वा कुमारी जे0
सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, सी०ओ०ए०, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
8. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-04/2026/आई/1196159/2026/16-3099/96/2025

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2026**

विषयः- प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/2024/16-3099/156/ 2019, दिनांक 05.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 05.01.2024 द्वारा सभी नियामक संस्थाओं AICTE/PCI/COA से आच्छादित नई इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर संस्थाओं के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने की समेकित प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन्स के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर संबंधी आवेदनों पर विचार किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पृथक रूप से एक पारदर्शी शुचितापूर्ण, त्वरित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 यथा संशोधित तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 व फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2025-26 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/ 2024/16-3099/ 156/2019 दिनांक 05.01.2024 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अवक्रमित करते हुए डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, पूर्व से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संचालित संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, पूर्व से संचालित संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि संबंधी प्रक्रिया

(1) डिप्लोमा स्तरीय नई संस्थाओं को खोले जाने हेतु फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली (PCI) के समक्ष आवेदन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य/प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदनकर्ता द्वारा नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्था खोले जाने हेतु फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के समक्ष सीधे आवेदन किया जायेगा।

(2) फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थान खोले जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से प्राविधिक शिक्षा परिषद के समक्ष आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। डिप्लोमा स्तरीय नई संस्थाओं की सम्बद्धता, संस्था का नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर तथा स्थान परिवर्तन इत्यादि हेतु समस्त कार्यवाही प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जाएगी।

(3) प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने की समस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी, भौतिक रुप से न तो कोई आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार निर्गत किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रासंगिक शैक्षणिक सत्र (Relevant Academic Session) के लिए प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(5) आवेदनकर्ता द्वारा सम्बद्धता हेतु यू-राइज पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का आनलाइन भुगतान करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदनकर्ता के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निम्न अभिलेख होने चाहिए जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगाः-

i. नियामक संस्था (Pharmacy Council of India) का अनुमोदन पत्र।

ii. उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज (भूमि आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम पंजीकृत हो अथवा न्यूनतम 30 वर्षों हेतु लीज पर होनी चाहिए)

iii. बिल्डिंग प्लान (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (Building Completion Certificate)/भवन अधिभोग प्रमाण पत्र (Building Occupancy Certificate) Approved by Competent Authority (यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रमाण पत्र अलग-अलग प्रदान किये जाते हैं तो दोनों प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें अन्यथा भवन अधिभोग प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा।) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित।

v. आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी /कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा। "शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न **(संलग्नक-01)**

(6) प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदनों का परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकार किये गये आवेदनों को यू-राईज पोर्टल के माध्यम से 03 दिवस में संबंधित जिलाधिकारी को समयबद्ध रुप से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(7) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से आवेदक संस्था की भूमि एवं भूमि संबंधी अभिलेख लीज डीड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित भवन, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित संस्थान की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जायेगी।

(8) आवेदक संस्था का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने के. उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित आख्या एवं वीडियो/फोटोग्राफ्स यू-राईज पोर्टल पर अपलोड कराये जायेगें।

(9) जिलाधिकारी द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधी आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स एवं दिए गए मन्तव्य के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 03 दिवस में आनलाइन सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(10) सम्बद्धता (Affiliation) हेतु निर्धारित निम्नवत् समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

क्र०सं०	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि
1-	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	01 जनवरी से 30 अप्रैल
2-	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	15 मई तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	20 मई तक

(11) डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थाओं में शिक्षण/प्रशिक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निम्नवत् शर्तों के अधीन सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगाः-

(i) नए डी० फार्मा संस्थानों को सामान्यतः 03 वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(ii) National Assessment and Accreditation Council (NAAC), National Institutional Ranking Framework (NIRF), National Board of Accreditation (NBA) एवं State Institution Ranking Framework (SIRF) उच्च रैंकिंग प्राप्त संस्थाओं को 05 वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगा।

(iii) State Institution Ranking Framework (SIRF) में 03 बार न्यूनतम श्रेणी प्राप्त होने पर 4th year में पुनः सम्बद्धता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद इसका विस्तृत अध्ययन करते हुये संस्थान के कोर्स की सीटों में कटौती करने अथवा संस्थान के सम्बद्धता विस्तार को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेगी।

(iv) यदि नियामक संस्था यथा-पी०सी०आई० द्वारा किसी संस्थान को अनुमोदन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित शैक्षिक सत्र/सत्रों हेतु परिषद का सम्बद्धता विस्तार स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(v) यू-राईज पोर्टल के माध्यम से सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्बद्धता विस्तार निम्न शर्तों के साथ ऑनलाइन जारी किया जायेगाः-

(क) किसी भी संस्था में यदि 03 वर्षों तक एडमिशन 60% से कम हो तो संबंधित संस्था को चौथे वर्ष सम्बद्धता विस्तार हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद यथास्थिति संस्थान की सीटों में कटौती करने अथवा सम्बद्धता विस्तार को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेगी।

(ख) यदि किसी सम्बद्ध संस्था के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो संस्था को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त फार्मेसी संस्थाओं के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु शासन स्तर पर सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयोपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद किसी भी संस्था का औचक निरीक्षण/जाँच सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/ किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करायी जा सकती है।

(ग) फार्मेसी संस्थान के संचालन में किसी भी स्तर पर और किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध कार्यो की किसी भी स्तर पर शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायतों का अंतिम निस्तारण प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कृपया डिप्लोमा सेक्टर की नई फार्मेसी संस्थानों को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया एवं समय-सारणी तथा एवं सम्बद्धता विस्तार हेतु प्रदत्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्था खोलने के लिए के किए गए आवेदनों पर निर्धारित मानक पूर्ण होने के पश्चात् ही अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करें।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
12. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।